दिनांक: 20.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 25,000 रूपये का ईनामी व लूट का 01 शातिर वांछित अभियुक्त बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से लूट का 01 कुण्डल पीली धातू, 01 मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट, 01 तमंचा व 01 जिन्दा तथा 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखने के साथ ही अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड हेतु लगातार सघन गश्त व चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 19/20.06.2024 की देर रात्रि जब थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम गश्त पर थी तो पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो शातिर अपराधी ढमोला पुल नदी की पटरी के पास दिखाई दिये हैं एवं किसी घटना को करने करने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो दो संदिग्ध व्यक्ति ढमोला नदी की पटरी पर दिखाई दिए। **पुलिस टीम जब सदिंग्धो के नजदीक पहुँची तो एक बदमाश ने अचानक से पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस टीम द्वारा जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है।** बदमाश का अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। **घायल/गिरफ्तार बदमाश की पहचान दानिश पुत्र अमीर अहमद निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर के रूप में हुई है**, जिसे उपचार हेतु चिकित्सालय भर्ती करवाया गया है एवं फरार बदमाश की गिरफ्तारी हेतु काम्बिंग की जा रही है। **बदमाश दानिश उपरोक्त दिनांक 16.06.2024 को थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 143/24 धारा 392 भादवि, सुपर स्टार गैस एजेन्सी के पास महिला से सोने के कुण्डल लूटने के अपराध का वांछित अभियुक्त है, जिस पर जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडपीएस एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं एवं दानिश उपरोक्त थाना कोतवाली नगर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है।** अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त दानिश उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैने और मेरे साथी ने दिनांक 16.06.2024 को सुबह के समय चकरौता रोड पर चलती हुई एक महिला का एक कान का कुन्डल छीना था। यह वही कुन्डल है जो मेरी जेब से मिला है और मोटर साईकिल के बारे मे पूछने पर बताया कि यह मोटरसाईकिल मेरा साथी कहीं से लाया था। आज भी हम किसी घटना को करने की फिराक मे थे कि पुलिस टीम से हमारा सामना हो गया और भागने के ईरादे से मैने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

दानिश पुत्र अमीर अहमद निवासी नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त दानिश उपरोक्तः-</u>

1. .मु0अ0सं0 0038/2023 धारा – 392/411 भादवि चालानी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 – 0129/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 – 0185/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 – 0574/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना मण्डी सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 – 0469/2018 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 – 0468/2018 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 – 0454/2018 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 – 0449/2018 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 – 0403/2018 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 – 0353/2018 धारा 393 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 – 0465/2018 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना को0 देहात सहारनपुर
12. मु0अ0स0 143/2024 धारा 392/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जोनसन कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
3. है0का0 356 नीरज थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
4. का0 296 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
5. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर
6. का0 2330 सचिन कुमार थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु मादक पदार्थों एवं इनकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **शाहबाज पुत्र आसिफ निवासी निवासी टोपिया सराय थाना मण्डी सहारनपुर** को कंबोह के पुल से पहले करीब 150 कदम की दुरी पर गाड़ो के चौक की तरफ से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 09 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0237/2024धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहबाज पुत्र आसिफ निवासी निवासी टोपिया सराय थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 91/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 253/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 09 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. का0 2199 विष्णु चौधरी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. कांस्टेबल 2371 राहुल थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर

दिनांक: 20.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के अपहरण के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गिया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.06.2024 को वादी ने मुकदमा ने उपस्थित थाना आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त **फरहान पुत्र मंसूर अहमद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0स0 92/24 धारा 363 भादवि** पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अपहृता की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश - निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षण श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **फरहान पुत्र मंसूर अहमद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को रेलवे स्टेशन सहारनपुर से गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट** की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरहान पुत्र मंसूर अहमद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2.का02219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनुर।
3.का0 2319 दानवीर सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4.मका0 912 आरती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन, पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा / 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.06.2024 को वादी श्री फौजवीर सिंह पुत्र यशपाल निवासी माधोपुर,थाना तितरो सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण 1.आकाश उर्फ छोटू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम सढोली हरिया थाना कोतवाली देहात सहारनपुर 2.शिवम पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम उमरी खुर्द थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर 3.छोटू पुत्र सीलू निवासी ग्राम भाँकला थाना रामपुर मनिहारन व कुछ अन्य साथियो के साथ मिलकर वादी के पुत्र दिक्षित पर जान से मारने की नियत से फायर करना जिसमें गोली दिक्षित की बाजु में व एक अन्य व्यक्ति के पैर मे गोली लगने से घायल होने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 196/24 धारा 307/34/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर उपरोक्त फायरिंग की घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त **विपुल उर्फ छोटू पुत्र सुशील उर्फ शीलू निवासी ग्राम भांकला थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर** को दिल्ली रोड भांकला कट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 147/148//149 भादवि व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त विपुल उर्फ छोटू उपरोक्त ने बताया कि मैं आर मेरे 05 अन्य साथी की करीब 15 दिन पहले जे0वी0 जैन डिग्री कालेज पर दीक्षित व उसके साथियो के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी थी। तभी से हम सभी ने दीक्षित व उसके अन्य साथियों से बदला लेने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत दिनांक 18.06.24 को मैंने व मेरे अन्य साथी अक्षय,दीपक पंवार उर्फ आदित्य,शिवम्,आकाश उर्फ छोटू ,मन्नी राणा ने मिलकर दिन में करीब 12.00 बजे ग्राम जन्धेडा समसपुर में दीक्षित,प्रिंस के उपर जान से मारने की नियत से फायिंग की थी। जो तमन्चा पुलिस ने मुझसे बरामद किया है यह वही तमंचा है जिससे मैंने दीक्षित व प्रिंस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विपुल उर्फ छोटू पुत्र सुशील उर्फ शीलू निवासी ग्राम भांकला थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

बरामदगी-

- 01 तमन्चा 315 बोर।
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अभियुक्त विपुल उर्फ छोटू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 196/24 धारा 196/24 धारा 307/34/504/506/147/148/149 भादवि व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

2.मु0अ0सं0 389/22 धारा 389/22 धारा 147, 148, 149, 307 IPC व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1.प्र0नि0 नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
4.है0का0 888 मनीष कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
5.का0 2324 रवि कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 20.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 19.06.24 को वादी मुकदमा द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर बाबत वादी की बहन के साथ अभियुक्त **मुकेश पुत्र रमेश कुमार निवासी शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर **मु0अ0सं0 188/24 धारा 376 भादवि** पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश-निर्देश दिये गये , जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **मुकेश पुत्र रमेश कुमार निवासी शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मालगोदाम रोड साईकिल स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुकेश उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुकेश पुत्र रमेश कुमार निवासी शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ओमकार सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 331 ओमपाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 20.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण , वारन्टी/ वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.06.2024 को 01 वारण्टी अभियुक्त नवीन पुत्र राकेश निवासी ग्राम पिलखनी थाना नकुड जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 7537/24 मु0अ0स0 176/24 धारा 323/325/504/506/188/269/ /270/307 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नवीन पुत्र राकेश निवासी ग्राम पिलखनी थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री राकेश शर्मा थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 261 अजीत सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1890 मोन्टी थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।